नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-10-65/2017/वाक/पांच(114). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2017/वाक/पांच (114), दिनांक 22-08-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur , the 22nd August 2017

NOTIFICATION
No. 23 /2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 65/2017/CT/V (114). — In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 17/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (85), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely :-

"(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2017

अधिसूचना
सं. 20/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-65/2017/वाक/पांच(115). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 11/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(79), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में परिषद् की सिफ़ारिशो के आधार पर, निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-